File No. IWT-11011/91/2021-IWT(1)
Government of India
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
(IWT-II Section)

Transport Bhawan,
1, Parliament Street, New Delhi-110001.
Dated 03rd December, 2025

To,

The General Manager,
Govt. of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
New Delhi

Subject: - Publication of final Notification of Inland Vessels (Design & Construction) (First Amendment) Rules, 2025 to be framed under the Inland Vessels Act, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) – regarding.

Sir,

I am directed to enclose herewith a soft copy in MS Word format and digitally signed copy of PDF format duly signed both in Hindi and English version regarding final Notification of Inland Vessels (Design & Construction) (First Amendment) Rules, 2025 for final publication under the Inland Vessels Act, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i). The same has been uploaded on the web portal of the Government of India Press for e-Publishing in the Gazette of India.

2. It is certified that the soft copy in MS Word format and scanned copy in PDF format of the above mentioned Notification are the same and are approved by the competent authority.

Yours faithfully,

Uttam 3/12/2025

(Uttam Kumar Mishra)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 011-23357558
Email–uttam.mishra27@gov.in

Encl: As above

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 03 दिसंबर, 2025

सा.का.नि..... (अ).-- अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अन्तर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) (पहला संशोधन) नियम, 2025 का प्रारुप भारत के राजपत्र असाधारण भाग- 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 25 फरवरी, 2025 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 147(अ) तारीख 25 फरवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 25 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (ङ) और खंड (च) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (1) और धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्तर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण प्रथम) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अन्तर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(कक) "अनुमोदित सामग्री" से वर्गीकरण सोसाइटी (जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संगम की सदस्य है) द्वारा अनुमोदित, या अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन अथवा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करने वाली सामग्री अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ग) में, "धारा 3 के खंड (20)", शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 3 का खंड (यण)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ज) "सकल टन भार" से 24 मीटर लंबाई के जलयान और उससे अधिक के जलयान के लिए अंतर्राष्ट्रीय टन भार अभिसमय, 1969 के अनुसार परिकलित सकल टन भार और 24 मीटर लंबाई से कम के जलयान के लिए वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 1987 के अनुसार परिकलित सकल टन भार अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (ड) को खंड (डक) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खंड (डक) के पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ड) "मशीनरी स्थानों" से मुख्य और सहायक नोदन मशीनरी, जिनके अंतर्गत बायलर, तेल ईंधन इकाईयां, वाष्प और आंतरिक दहन इंजन, जनरेटर और बड़ी इलैक्ट्रीकल मशीनरी, वातायन और एयरकंडीशनिंग मशीनरी सहित अंतर्विष्ट करने वाले स्थान, और ऐसे स्थानों के ट्रंक सहित समान स्थानों की जलरोधी सीमाओं के बीच स्थान अभिप्रेत हैं ;';

(v) खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(दक) "वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं" से किसी वर्गीकरण सोसाइटी (जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संगम की सदस्य है) द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकारों के जलयानों की परिकल्पना और संनिर्माण के लिए तकनीकी मानक अभिप्रेत हैं ;';

3. उक्त नियमों के नियम 4 में,--

(क) उपनियम (1) में, "और जोन 1 में परिचालित हैं" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) में,--(i) "प्रवर्ग 'क' के जलयान" शब्दों के पूर्व "जोन 1 में परिचालित" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ; और (ii) "अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और परिकल्पना", शब्दों के पश्चात् "या वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2क) जोन 2 और जोन 3 में परिचालित प्रवर्ग 'क' के जलयान अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और परिकल्पना या वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं के अनुसार परिकल्पित, संनिर्मित किए जाएंगे तथा पदाभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अधीन रखरखाव किए जाएंगे :

परंतु वर्गीकरण सोसाइटी द्वारा सर्वेक्षण उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अतिरिक्त होगा :

परंतु यह और कि टैंकर और रो-पेक्स जलयान वर्गीकरण सोसाइटी के सर्वेक्षण के अधीन रखरखाव किए जाएंगे :

परंतु यह भी कि 2 घंटे या 2 घंटे से कम की समयावधियों के लिए चलने वाले यात्री जलयान वर्गीकरण सोसाइटी के अधीन सर्वेक्षण के रखरखाव से छूट प्राप्त होंगे ।";

(घ) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) (क) जोन 1 में परिचालित प्रवर्ग 'ख' जलयान अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार या वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं के अनुसार परिकल्पित और संनिर्मित किए जाएंगे तथा वर्गीकरण सोसाइटी के सर्वेक्षण के अधीन रखरखाव किए जाएंगे ;

(ख) जोन 2 और जोन 3 में परिचालित प्रवर्ग 'ख' जलयान अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और परिकल्पना के अनुसार या वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं के अनुसार परिकल्पित और संनिर्मित किए जाएंगे तथा पदाभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अधीन रखरखाव किए जाएंगे ।";

(ङ) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) उपनियम (3) के खंड (ख) तथा उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्वामी यह विनिश्चय कर सकेगा कि जलयान की परिकल्पना, संनिर्माण और रखरखाव पदाभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अधीन या वर्गीकरण सोसाइटी के अधीन की जाएगी :

परंतु जहां स्वामी यह विनिश्चय करता है कि जलयान की परिकल्पना, संनिर्माण और रखरखाव पदाभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अधीन की जाएगी तो पदाभिहित प्राधिकारी वर्गीकरण सोसाइटी से सहायता की वांछा कर सकेगा ।

(6) वर्गीकरण सोसाइटी द्वारा संचालित सर्वेक्षण उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अतिरिक्त होगा ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (4) में, "अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिकल्पना और संनिर्माण अपेक्षाओं के मानकों" शब्दों के पश्चात्, "या वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) में, "अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और परीक्षण मानकों" शब्दों के पश्चात्, "या वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (2) में, "वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं" शब्दों के पश्चात्, "या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार या उनके अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय मानकों या मानदंडों के अनुसार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 100 सकल टन भार से नीचे के तथा जोन 3 में परिचालित होने वाले मानकों के लिए देहली ऊंचाई 50 मिलीमीटर से कम नहीं होगी ।"।

8. उक्त नियमों के नियम 52 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) मशीनरी स्थानों में मशीनरी के शोर को 90 डेसिबल या उससे कम करने के उपाय किए जाएंगे और यदि इस शोर को पर्याप्त रूप से नहीं घटाया जा सकता है तो अत्यधिक शोर के स्रोत को उपयुक्त रूप से इंस्लयुट या अलग किया जाएगा, या यदि स्थानों को मानवयुक्त करने की अपेक्षा है तो ध्वनि अवरोधक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करके शोर से मुक्ति प्रदान की जाएगी ।"।

9. उक्त नियमों के नियम 68 के उपनियम (1) के खंड (ङ) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु 300 सकल भार से कम के यानों के लिए पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा रिमोर्ट कंट्रोल के बदले में उपदर्शक अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।"

10. उक्त नियमों के नियम 97 के उपनियम (4) में, "अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुसंगत अपेक्षाओं और मानकों" शब्दों के पश्चात् "और यानों के कशाघात के लिए पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कोई अन्य अपेक्षाओं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

11. उक्त नियमों के नियम 8, नियम 16, नियम 33, नियम 38, नियम 40, नियम 42, नियम 47, नियम 59, नियम 70, नियम 72, नियम 78, नियम 79, नियम 80, नियम 81, नियम 97 और नियम 106 में, "अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों और परिकल्पना" शब्दों के पश्चात्, जहां कहीं वे आते हैं, "या वर्गीकरण सोसाइटी की अपेक्षाओं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी(1)]

कमलाकांत

डा. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

डॉ. के. के. नाथ/Dr. K. K. NATH
सलाहकार (सांख्यिकी)/Adviser (Statistics)
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi-110001

टिप्पण : अन्तर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 295(अ), तारीख 28 मई, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Ports, Shipping and Waterways

NOTIFICATION

New Delhi, the 03rd December, 2025.

G.S.R...(E) .— Whereas the draft of the Inland Vessels (Design and Construction) (First Amendment) Rules, 2025 was published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 147 (E), dated the 25th February, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 25th February, 2025, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on 25th February, 2025;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 and sub-section (1) of section 8 read with clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, namely. –

1. (1) These rules may be called the Inland Vessels (Design and Construction) (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1), –

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

'(aa) "approved material" means the material approved by a classification society (who is a member of International Association of Classification Societies), or complying with the standards specified by International Standards Organisation or the Bureau of India Standards;';

(ii) in clause (c), for the words, brackets and figures "clause (20) of section 3", the words, brackets letters and figure "clause (zo) of section 3" shall be substituted;

(iii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely: -

'(h) "gross tonnage" means for a vessel of 24 meters length and above vessel, gross tonnage, calculated as per the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, and for a vessel with less than 24 meters length, gross tonnage, calculated as per the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987;';

(iv) clause (m) shall be renumbered as clause (ma) and before clause (ma) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely: -

'(m) "machinery spaces" means spaces between watertight boundaries of a space containing the main and auxiliary propulsion machinery including boilers, oil fuel units, steam and internal combustion engines, generators and major electrical machinery, ventilation and air conditioning machinery, and similar spaces including trunks to such spaces;';

(v) after clause (r), the following clause shall be inserted, namely: -

'(ra) "requirements of classification society" means the technical standards for design and construction of different kinds of vessels specified by any classification society (who is a member of International Association of Classification Societies);'.

3. In the said rules, in rule 4, –

(a) in sub-rule (1), the words and figure "and are operating in Zone 1" shall be omitted;

(b) in sub-rule (2),- (i) after the words and letter "Category 'A' vessels", the words and figure "operating in Zone 1" shall be inserted; and (ii) after the word "Schedule", the words "or requirements of classification society" shall be inserted;

(c) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(2A) Category 'A' vessels operating in Zone 2 and Zone 3 shall be designed, constructed in accordance with the standards and design specified in the Schedule or requirements of classification society and maintained under the survey of the designated authority:

Provided that the survey by the classification society shall be in addition to the survey conducted by the surveyor appointed under section 10 of the said Act:

Provided further that tankers and Ro-Pax vessels shall be maintained under the survey of classification society:

Provided also that the passenger vessels plying in durations of two hours or less than two hours shall be exempted from maintenance of survey under classification society.";

(d) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(3) Category 'B' vessels operating in, –

(a) Zone 1, shall be designed and constructed in accordance with the standards specified in the Schedule or as per the requirements of the classification society, and shall be maintained under the survey of classification society;

(b) Zone 2 and Zone 3, shall be designed and constructed in accordance with the standards and design specified in the Schedule or as per the requirements of classification society, and shall be maintained under the survey of the designated authority.";

(e) for sub-rule (5), the following sub-rules shall be substituted, namely: –

"(5) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (3), and sub-rule (4), the owner may decide whether the vessel shall be designed,

constructed, and maintained under the survey of the designated authority or under the classification society:

Provided that where the owner decides that the vessel shall be designed, constructed, and maintained under the survey of the designated authority, the designated authority may seek assistance from classification society.

(6) The survey conducted by the classification society shall be in addition to the survey carried out by the surveyor appointed under section 10 of the said Act.".

4. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (4), after the words "specified in the Schedule", the words "or the requirements of classification society" shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), after the words "specified in the Schedule", the words "or the requirements of classification society" shall be inserted.

6. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2), after the words "classification society", the words "or as per the standards specified by Bureau of Indian Standards, or as per the International standards or norms issued there under" shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that for vessels below 100 gross tonnage and operating in Zone 3, the sill height shall not be less than 50 millimetres.".

8. In the said rules, in rule 52, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(1) Measures shall be taken to reduce machinery noise in machinery spaces to 90 decibels or lesser and if this noise cannot be sufficiently reduced, the source of the excessive noise shall be suitably insulated or isolated, or a refuge from noise in form of acoustic protection devices shall be provided, if the spaces are required to be manned.".

9. In the said rule, in rule 68, in sub-rule (1), in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that for vessels less than 300 gross tonnage, indicators may be permitted by the designated authority in lieu of remote controls".

10. In the said rules, in rule 97, in sub-rule (4), after the words "the standards specified in the Schedule", the words "and any other requirements as may be specified by the designated authority for lashing of vehicles" shall be inserted.

11. In the said rules, in rules 8, 16, 33, 38, 40, 42, 47, 59, 70, 72, 78, 79, 80, 81, 97 and 106, after the words "specified in the Schedule", wherever they occur, the words "or the requirements of classification society" shall be inserted.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(1)]

DR. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

डॉ. के. के. नाथ/Dr. K. K. NATH
सलाहकार (सांख्यिकी)/Adviser (Statistics)
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi-110001

Note: The Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 295 (E), dated the 28th May, 2024.